प्रपत्र – 1 / FORM 1

[कृपया नियम 56 (1) देखें/ See Rule 53(1)]

सेवानिवृत्ति उपदान/ मृत्यु उपदान के लिए नामांकन

Nomination for Retirement Gratuity / Death Gratuity

 जब सरकारी कर्मचारी का एक परिवार हो और वह उसमें एक सदस्य, या एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करना चाहते हो।

 When the Government servant has a family and wishes to nominate one member, or more than one member, thereof.

 मैं, ……………………………., नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों), जो मेरे परिवार के सदस्य है/हैं, को नामांकित करता/करती हूं और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत, नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, सेवा के दौरान मेरी मृत्यु की स्थिति में या जो मेरी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर देय हो गई है, वह राशि मेरी मृत्यु पर अप्रदत्त रह जाने की स्थिति में किसी भी उपदान को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता/करती हूं।

 I, …………………………., hereby nominate the person/ persons mentioned below who is/ are member(s) of my family, and confer on him/ them the right to receive, to the extent specified below, any gratuity the payment of which may be authorized by the Central Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death , to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:-

|  |  |
| --- | --- |
| मूल नामांकित व्यक्ति / Original nominee/s | वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति/ Alternate nominee/s |
| नामांकित व्यक्ति (यों) का नाम व पता /Name & address(es) of Nominee/ Nominees | सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध /Relationship with Govt. servant | आयु / Age | \*प्रत्येक को प्रदत्त की जाने वाली राशि या उपदान का हिस्सा / Amount or share of gratuity payable to each\* | उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, पता, संबंध और उम्र, यदि कोई हो, जिसे नामांकित व्यक्ति को दिया गया अधिकार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले हो जाने की स्थिति में या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अधिकार प्रदान किया जाएगा। Name, address, relationship and age of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the Government servant or the nominee dying after the death of the Government servant but before receiving payment of gratuity | \*प्रत्येक को प्रदत्त की जाने वाली राशि या उपदान का हिस्सा / Amount or share of gratuity payable to each\* |
|  |  |  |  |  |  |

यह नामांकन मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक………………….. को किए गए नामांकन को अतिक्रमित करता है जो रद्द किया जाता है।

This nomination supersedes the nomination made be me earlier on …………………..which stands cancelled.

202 के इस दिवस को हस्ताक्षरित

Signed at this day of ,202

 सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर/ Signature of Govt. servant

दो गवाहों के हस्ताक्षर / Signature of two witness

(कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाए/ To be filled by the Head of Office)

द्वारा नामांकित/Nomination by ………………… कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर/Signature of Head of Office

पदनाम/Designation ……………………………….. दिनांक/Date ……………………….

कार्यालय/Office …………………………………….. पदनाम/Designation ………………..